राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

क्रमांक / न्याय / स.आ. / 2019 / 654

दिनांक :– 16.10.2020

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक पं.7( )न्याय / गुर्जर आन्दोलन / 2020 / 10838 दिनांक 16.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा गुर्जर समाज को आरक्षण दिये जाने की मांग को लेकर ग्राम अड्डा पुलिस थाना व तहसील बयाना जिला भरतपुर ने दिनांक 17.10.2020 को महापंचायत आरक्षण आन्दोलन की मांग को लेकर तथा अन्य जिलों की सोशल मीडिया, वाट्सएप ग्रुप पर घटनाओं को बढा–चढाकर प्रचारित–प्रसारित किया जा रहा है, इससे उपखण्ड बयाना जिला भरतपुर की कानून व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था को बाधित होने की पूर्ण सम्भावना व्यक्त की हैं।

इस दौरान जिला सवाई माधोपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं लोकसुरक्षा को बनाए रखने हेतु टेलकॉम कम्पनियों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित करना काफी कारगर सिद्व हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर से प्राप्त पत्रानुसार दिनांक 16.10.2020 को रात्रि 09.00 बजे से दिनांक 19.10.2020 को रात्रि 09.00 बजे तक टेलकॉम कम्पनियों द्वारा इटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।

अतः जिला भरतपुर के उपखण्ड बयाना में गुर्जर समाज को आरक्षण दिये जाने की मांग पर तथा वाट्सअप के माध्यम से अफवाह फैलाई जाकर कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को खराब किए जाने के कारण Temporary suspension of Telecom Services (Public emergency or public Safety) Rules 2017 दिनांक 07 अगस्त 2017 के नियम 2 (1) के तहत गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.35(1)गृह–9 / 2006 दिनांक 02.02.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **सम्पूर्ण सवाई माधोपुर जिले में 2G/3G/4G/Data internet Services, whatsapp, Facebook, twitter and other social media by internet Services provider (Except Voice call of land line and mobile phone) सेवाओं को दिनांक 16.10.2020 को मध्यरात्रि 12.00 बजे से दिनांक 17.10.2020 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक अस्थाई रूप से निलम्बित किया जाता है। सरकारी कार्यालयों की बी.एस.एन.एल ब्रॉण्ड बैण्ड व अन्य की लीज लाईन संचालित रहेगी।**

यह आदेश आज 16.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(पी.सी. बेरवाल)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

क्रमांक / सम / 655-70

दिनांक :–16.10.2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग राज0 सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, गृह विभाग, राज0 जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस रेंज, भरतपुर / जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर को भेज कर लेख है कि इस संबंध में क्षेत्र में संचालित सभी टेलकॉम कम्पनियों / ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें।
6. नोडल अधिकारी, टेलकॉम ऑपरेटर, बी.एस.एन.एल / एयरटेल / बोडाफोन / आइडिया / एयरसैल / टाटा / रिलायंस जीओ / एम.टी.एस. आदि को पालनार्थ मार्फत पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सवाई माधोपुर।
8. आदेश पत्रावली।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर